307 of 2017 B.A

## THE COURT

	ale M.	
Date of order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
30/08/2017	आवेदकगण सिरनाम सिंह एवं लक्ष्मणसिंह द्वारा श्री प्रवीण गुप्ता अधिवक्ता उप0।	
02:30 P.M	राज्य द्वारा श्री बी.एस. बघेल अतिरिक्त लोक अभियोजक	
to	उप01	
02:45 P.m.	थाना मौ के अपराध क्रमांक 207 / 17 अंतर्गत	
S.	धारा—498ए एवं 34 भा0दं०सं० तथा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम	
A X	की कैफियत एवं केस डायरी प्राप्त।	
A. 80	आवेदकगण के जमानत आवेदन अंतर्गत धारा–438 दं०प्र०सं०	
~	के साथ उनके भाई प्रहलाद के द्वारा शपथपत्र प्रस्तृत किया गया	
121	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	है। शपथपत्र एवं आवेदन में यह बताया गया है कि यह आवेदकगण का प्रथम अग्रिम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा—438 दं०प्र०सं० का	
	है। इस प्रकृति का कोई आवेदन समकक्ष न्यायालय या माननीय	
	उच्च न्यायालय में न तो प्रस्तुत किया गया है, न खारिज हुआ है	51
	और न ही विचाराधीन है। ऐसा ही केस डायरी से भी स्पष्ट है।	100
	आवेदकगण के अग्रिम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा—438	8/,
	दं०प्र०सं० पर उभयपक्ष के तर्क सुने गए।	
	आवेदकगण की ओर से यह व्यक्त किया गया है कि उन्होंने	
	कोई अपराध नहीं किया है, उन्हें झूठा फंसाया गया है। उन्होंने काई	
	दहेज की मांग नहीं की है। यदि पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर	
	लिया तो उनकी प्रतिष्ठा धूमिल हो जाएगी। उक्त आधारों पर अग्रिम	
	जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना की गई है।	
	राज्य की ओर से जमानत आवेदन का घोर विरोध किया है	
	तथा जमानत आवेदन निरस्त किए जाने पर बल दिया है।	
	उभयपक्ष को सुने जाने तथा कैफियत व केस डायरी का	
	अध्ययन करने से स्पष्ट है कि अभियोजन के अनुसार फरियादिया	
	श्रीमती रीना बाई का विवाह 04.06.14 को ग्राम छेंकुरी के दिनेश बध	
	ोल सह अभियुक्त के साथ हुआ था। दिनेश के द्वारा मोटरसाइकिल	
	की जिद करने पर फरियादिया के पिता ने उसे टी.व्ही.एस.	
	मोटरसाइकिल एवं हैसियत के अनुसार दहेज दिया था। शादी के	
	बाद से ही दिनेश बघेल पति तथा ससुर लक्ष्मण एवं चचिया ससुर	
	सिरनाम बघेल दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे और कहते थे कि	
	अपने घर से नकदी दो लाख रूपए लाओ तब घर में रखेंगे। पति	
	दिनेश फरियादिया की आये दिन मारपीट करता रहता था। दिनांक	
	26.07.17 को दिनेश बघेल, लक्ष्मण बघेल एवं सिरनाम बघेल ने	

उसकी मारपीट कर घर से निकाल दिया और तब फरियादिया ने अपने पिता को फोन करके बुलाया तब से वह अपने पिता रामदास के साथ मायके ग्राम गरेली में रह रही है। उक्त घटना की रपोर्ट थाना मौ में की गई।

इस मामले में रीनाबाई बघेल का मेडीकल परीक्षण दिनांक 19.08.17 को किया गया है, जिसमें गर्दन में एवं पीठ में दर्द होने की शिकायत बताई गई है। जाहिराना चोट नहीं होना पाई गई है। इस मामले में दिनांक 27.06.17 को फरियादिया को घर से मारपीट कर निकाल देना बताया गया है। परंतु घटना की रिपोर्ट दिनांक 19.08.17 को अर्थात लगभग डेढ़ माह पश्चात की गई है। मेडीकल परीक्षण भी डेढ़ माह पश्चात हुआ है। लक्ष्मण सिंह फरियादिया का ससुर होकर उसकी आयु 65 साल है, सिरनाम सिंह चिचया ससुर है, अपराध अधिकतम तीन वर्ष के कारावास से दण्डनीय होकर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के द्वारा विचारणीय है। मामले की संपूर्ण परिस्थितियों एवं तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए आवेदकगण को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकार किया गया।

अतः आदेशित किया जाता है कि, यदि आवेदकगण सिरनाम सिंह एवं लक्ष्मण सिंह को थाना मौ के अपराध क्रमांक 207/17 अंतर्गत धारा—498ए एवं 34 भाठदंठसंठ तथा धारा—3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में गिरफ्तार किया जाता है या अभिरक्षा में लिया जाता है तो उनके प्रत्येक के द्वारा गिरफ्तारकर्ता अधिकारी की संतुष्टि योग्य 20,000/—रूपये की सक्षम जमानत व इतनी ही राशि का व्यक्तिगत बंध पत्र इस आशय का पेश कर दिया जाता हैं कि वह अन्वेषण में सहयोग करने के साथ—साथ मामले की जॉच/विचारण में नियमित उपस्थित होते रहेंगे, अभियोजन साक्ष्य को किसी भी रूप से प्रभावित नहीं करेंगे, अभियोजन साक्ष्यों को पुलिस अधिकारी या न्यायालय के समक्ष इस प्रकरण के तथ्यों को प्रकट न करने के लिए मनाने के लिए प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उसे कोई उत्प्रेरणा धमकी या वचन नहीं देंगे तो उन्हें अग्रिम जमानत पर छोड़ दिया जावे।

यदि इन शर्तों का पालन किया जाता है तभी यह आदेश प्रभावी रहेगा। आवेदकगण इस आदेश की दिनांक से 15 दिवस के अंदर विवेचना अधिकारी के समक्ष उपस्थित रहेंगे, जिसका पालन न करने पर, यह आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जावे।

केस डायरी आदेश की प्रति के साथ वापिस की जावे। नतीजा दर्ज करने के बाद यह आदेश पत्रिका एवं प्रपत्र अभिलेखागार में भेजा जावे।

STINE TO

(मोहम्मद अजहर) द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड WITHOUT PROTOS SUNTA BUSINESS SUNTA

ELIHOTA PARION BUILTIN BUILTIN